

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 217093

पटना, दिनांक 20/01/15

शा0वि0-7(5)/बी.पी.एल.(सू0का0)-07/08

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,  
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,  
मुजफ्फरपुर ।

विषय :- इंदिरा आवास योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र परिवारों को इंदिरा आवास का शत प्रतिशत आच्छादन के संबंध में ।

प्रसंग :- आपका पत्रांक-4712/अभि0 दिनांक-06.12.14

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से मांगे गये मार्गदर्शन के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र संख्या-Q-21022/4/2003-A1(RD) दिनांक-23.02.06 (छाया प्रति सलग्न) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संसूचित किया गया है कि जबतक वर्तमान बी.पी.एल. सूची अस्तित्व में है तब तक उस सूची में योग्य परिवारों का नाम शामिल करने तथा अयोग्य परिवारों का नाम हटाने की कार्यवाही लगातार होती रहेगी । इसकी प्रक्रिया भारत सरकार के पत्र संख्या-Q-21022/4/2003-A1(RD) दिनांक-10.10.05 (छाया प्रति सलग्न) के अनुसार होगी ।

उक्त प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय पत्र संख्या-190639 दिनांक-02.07.14 की कड़िका-4 में प्रावधान किया गया है कि वैसे परिवार जो वस्तुतः गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार की पात्रता रखते हैं परन्तु पारिवारिक सूची/बी.पी.एल. सूची में नाम समाविष्ट नहीं रहने के कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, ऐसे परिवारों को पारिवारिक सर्वेक्षण के लिए निर्धारित 13 मापदण्डों के आधार पर सर्वेक्षण कराकर जिनका स्कोर 13 तक आता है उन्हें बी.पी.एल. सूची में शामिल कर योजना का लाभ दिया जाय

अतः उपर्युक्त विभागीय पत्र में निहित अंतरिम व्यवस्था के आलोक में सर्वेक्षण कराकर योग्य परिवारों का नाम बी.पी.एल. सूची में शामिल कर योजना का लाभ (अनुसूचित जाति/जनजाति सहित) दिया जाय । इस क्रम में यह भी स्पष्ट करना है कि प्रासंगिक मामले में विभागीय अद्यतन निर्देश (विभागीय पत्र संख्या-190639 दिनांक-02.07.14) के पूर्व के निर्देश (विभागीय पत्र संख्या-129784 दिनांक-23.11.12) के आलोक में मार्गदर्शन प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं था ।

अनुसंगक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू)

सरकार के सचिव

जापाक 217093

पटना, दिनांक 20/01/15 19/1/15

प्रतिलिपि- (अनुसंगक सहित) सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनाथ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

जापाक 217093

पटना, दिनांक 20/01/15 19/1/15

प्रतिलिपि- आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनाथ प्रेषित ।

सरकार के सचिव

19/1/15



डा. रेणुका विश्वनाथन

DR. RENUKA VISWANATHAN

Tel : 23382230, 23384467

सं. 197  
197  
SECRETARY  
Government of India  
Ministry of Rural Development  
Krishi Bhawan, New Delhi - 110 001  
E-mail : secyrd@rural.delhi.nic.in

SECRETARY

Government of India

Ministry of Rural Development

Krishi Bhawan, New Delhi - 110 001

E-mail : secyrd@rural.delhi.nic.in

D.O.No.Q-21022/4/2003-AI (RD)

February 23, 2006

Dear Shri ... Saha,

Kindly refer to my predecessor's D.O. letter of even number dated 10<sup>th</sup> October, 2005 addressed to the Chief Secretary of your State containing the detailed guidelines for finalizing the BPL list based on the results of the BPL census of 2002.

2. As you are aware, the BPL list based on the BPL census of 2002 could not be finalized earlier because of the order of the Supreme Court dated 5.5.2003 directing that Government of India should not insist upon State Governments to remove persons from the existing BPL list. Subsequently, on the advice of the Additional Solicitor General of India, it was decided to finalise the BPL list without violating the orders of the Supreme Court. Accordingly, para 3(a) of my predecessor's letter stipulated that the BPL list for 2002 will also have at the bottom separately, details of families who were in the BPL list of 1997 excluded in the new list based on the BPL census for 2002.

3. The Ministry has been moving the Supreme Court to modify its order of 5.5.2003. As a result, the Supreme Court has now passed an order on 14.2.2006 vacating the stay order dated 5.5.2003. Hence, there is now no need to provide separately details of BPL families of 1997 as stipulated in para 3(a) of the above letter. The BPL list for 2002 can thus be finalized as per original guidelines. You may like to issue instructions accordingly so that the process of finalizing the new BPL lists expedited.

4. The Supreme Court has also directed that a provision may be made to allow new names to be added and ineligible names deleted from the BPL list on a continuous basis during the period to which the list applies. For this purpose, the claims of people may be considered as per the procedure prescribed in paras 3(d) and 3(e) of this Ministry's letter of 10<sup>th</sup> October, 2005. These instructions may also be brought to the notice of all concerned and action taken accordingly.

With kind regards,

Yours sincerely,

(Renuka Viswanathan)

Shri K C Saha  
Principal Secretary  
Department of Rural Development  
Government of Bihar  
Patna - 15.

(Dr. Renuka)

कायुक्त एवं सचिव  
ग्रामीण विकास  
का. वि. वि. को.  
का. वि. वि. को.  
का. वि. वि. को.



प्रत्युष सिन्हा  
**PRATYUSH SINHA**  
 Tel. 23382230, 23384467

संख्या  
 मंत्रालय संकेत  
 कृषि भवन नई दिल्ली 110 001

**SECRETARY**  
 Government of India  
 Ministry of Rural Development  
 Krishi Bhawan, New Delhi-110 001  
 E-mail : secyrd@rural.delhi.nic.in

*Handwritten notes:*  
 235  
 196  
 D.S. (M. P.) (ent.)

D.O. No. Q.21022/4/2003 - AI(RD)

आयुक्त एवं सचिव  
 ग्रामीण विकास विभाग  
 कृषि भवन नई दिल्ली

10th October, 2005

राज्यीय संख्या 68/1  
 दिनांक 17/10/05

*Handwritten notes:*  
 235  
 196  
 D.S. (M. P.) (ent.)

As you are aware, the Ministry of Rural Development by its letter No. Q.16025/4/2002-AI(RD) dated 13<sup>th</sup> September, 2002 had advised all the States and Union Territories to conduct the BPL Census, 2002 for identifying the households living below the poverty line. You are also aware that according to the directions of the Hon'ble Supreme Court issued on 5<sup>th</sup> May, 2003 in the Writ Petition (No.196 of 2001) filed by People's Union of Civil Liberties (PUCL) the results of the BPL Census, 2002 could not be finalized. However, this Ministry through its letter No. Q.16025/4/2002-AI(RD) dated 25<sup>th</sup> March, 2004, had advised the State Governments to complete the spadework for the preparation of the BPL List and subsequently to prepare Tabulation Plans for the 13 indicators.

2. For want of the updated BPL List, the State Governments have been expressing difficulty in implementing some of the poverty alleviation programmes. Hence, based on the advice given by the Additional Solicitor General, it has been decided to finalise the results of the BPL Census, 2002 without deleting the BPL families already existing in the BPL List of BPL Census 1997.

3. You are requested to finalise the BPL List based on the BPL Census 2002 following all the earlier guidelines but in addition also observing the following points:

(a) The BPL List of 2002 will be first prepared based on the BPL Census 2002. In addition, the list will also have at the bottom separately, the details of all those families who were in the BPL List of 1997 but were getting excluded in the new List based on the BPL Census 2002. They will be placed in the order in which they are ranked by the scorecard of the Census 2002.

*Handwritten:* 2872

*Handwritten:* 17/10/05

This new list along with the scores and inter se ranking will be displayed at the Panchayats Headquarters for a period of one month. During this period, the List will also be placed before the Gram Sabha for approval, if it had not been done earlier. The notice for the meeting of the Gram Sabha will be publicly displayed and also orally announced by the beating of drums well in advance of the meeting. The meeting can also be attended by the village officials namely, School Head Master, Anganwadi Workers, Ward Panch, Patwari and Gram Sevak. Ward Sabhas also will be held in addition to the Gram Sabha, where it is statutorily required so

to do. The photocopy of the Survey forms will be provided, on demand, to anybody to reveal how the scores have been given.

- (c) The Lists approved in the Gram Sabhas will continue to be displayed at the Panchayat Headquarters till the completion of the final appeal procedure at the District Collector's level.
- (d) Within a period of one month, after the display of the approved Lists at the Panchayat Headquarters, any objections can be filed before the SDM or Tehsildar as the case may be, by filling up the same survey forms along with the scores. The appellate authority should complete the enquiry within ten days of the filing of the appeal and convey the result to the applicant. Then, if necessary, he will ensure changes in the BPL List.
- (e) People still having objections can file an appeal with the District Collector by following a procedure similar to one described at para 3 (d) within a month of the decision of the first appeal. The Collector should complete the enquiry within ten days of filing of the appeal, and convey the result to the applicant. In the light of his decision, if found, necessary, he will cause to make the changes in the list.

4. It is expected that by following the preceding procedure about the display of the List, approval in Gram Sabha and the two stage appeal, the BPL List of 2002 will be finalized within a period of 3-4 months. The final computerized BPL List is expected to be displayed on the website and the Panchayat Headquarters.

5. I shall be grateful if you could issue suitable instructions to the Officers concerned to finalise the BPL List at the earliest.

*With regards,*

Yours Sincerely

(PRATYUSH SINHA)

Shri G.S. Kang  
Chief Secretary  
Govt. of Bihar  
Patna - 800015

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 190639 पटना, दिनांक 02.7.14

गोवि. 7/(5)बीपीएल(सूका)-07/2008

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,  
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार ।

विषय :- इंदिरा आवास योजना / विभिन्न प्रकार के पेंशन योजनाओं में पंचायत स्तरीय पारिवारिक सूची में शामिल परिवारों से भिन्न परिवारों के संबंध में आच्छादन संबंधी प्रक्रिया के संबंध में ।

महाशय,

राज्य के सभी जिलों में वर्ष 2002 में बी.पी.एल. सर्वेक्षण कराया गया था । वर्ष 2002 के बाद बी.पी.एल. सर्वेक्षण के आधार पर वर्ष 2007 में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की सूची प्रकाशित की गयी थी । सर्वेक्षण के आधार पर प्रत्येक पंचायत के लिए पारिवारिक सूची बनायी गयी थी । पारिवारिक सूची में पंचायत क्षेत्रांतर्गत रहने वाले सभी परिवारों को समाविष्ट होना था । पारिवारिक सूची में से 1 से 13 स्कोर पाने वाले परिवारों को बी.पी.एल. सूची के रूप में अलग सूची बनायी गयी थी ।

2. विभिन्न स्रोतों से ऐसी जानकारी मिलती है कि कई ऐसे परिवार हैं जिनका नाम पारिवारिक सूची में नहीं है जबकि वे परिवार वस्तुतः पंचायत क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और उनका नाम पारिवारिक सूची में अनिवार्य रूप से होना चाहिए था ।

3. इसमें ऐसे अनेकों परिवार हैं जो वस्तुतः गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के रूप में पात्रता रखते हैं अर्थात् यदि 13 बिन्दुओं पर सर्वेक्षण किया जाय तो उनके अंक 13 से कम होने की संभावना है ।

4. अनेकों ऐसे गरीब परिवार हैं जो वस्तुतः गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की पात्रता रखते हैं, परन्तु उन्हें उक्त योजनाओं का लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वे पारिवारिक सूची / बी.पी.एल. सूची में समाविष्ट नहीं हैं । ऐसी स्थिति पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिया गया है :-

- (ii) ऐसे परिवार, जो वस्तुतः गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले हैं, उनका निर्धारित सर्वेक्षण प्रपत्र (13 मापदंडों का 52 अंकों वाला प्रपत्र) में सर्वेक्षण किया जाय

और सर्वेक्षण के आधार पर यदि उनका स्कोर 13 से कम आता है तो उन्हें संबंधित पंचायत के बी.पी.एल. सूची के अंतिम क्रमांक के बाद पूरक बी.पी.एल. सूची बनाकर नाम समाविष्ट कर दिया जाय और उस आधार पर वैसे परिवारों को उक्त योजनाओं का लाभ दिया जाय ।

- (ii) इस व्यवस्था का उपयोग पूर्व से उपलब्ध बी.पी.एल. सूची में अंकों में सुधार के लिए नहीं किया जाएगा । यह व्यवस्था मात्र वैसे परिवारों के लिए की जा रही है जिनका नाम मूल बी.पी.एल. सूची / पारिवारिक सूची में कहीं भी अंकित नहीं है । जिनका नाम पूर्व से प्रचलित पारिवारिक सूची / बी.पी.एल. सूची में शामिल है, उनके अंकों में कोई संशोधन इस व्यवस्था के तहत स्वीकार्य नहीं होगा ।
- (iii) इस क्रम में शामिल किए जाने वाले नये परिवारों का स्कोर 13 से कितना भी कम हो, तो भी उनका स्थान वर्तमान में प्रचलित बी.पी.एल. सूची में समाविष्ट परिवारों के बाद ही शामिल होगा ताकि मूल सूची में अवस्थित परिवारों की प्राथमिकता क्रम में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो । यह प्रावधान मात्र इंदिरा आवास के चयन के लिए प्रासंगिक है । अन्य योजनाओं में प्राथमिकता क्रम का प्रावधान नहीं है ।
- (iv) पूरक बी.पी.एल. सूची में नाम समाविष्ट करने के लिए प्रखंड स्तर पर RAPS काउंटर के बगल में एक काउंटर खोला जाय, जिसमें पूरक बी.पी.एल. सूची में नाम समाविष्ट करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किया जाय । उन आवेदन पत्रों की एक पंजी संघारित की जाय । उन आवेदन पत्रों की जाँच प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सेवक/ग्रामीण आवास सहायक के माध्यम से कराएंगे और 15 दिन के अंदर अपना अभिमत दर्ज करके अनुमंडल पदाधिकारी को भेजेंगे । अनुमंडल पदाधिकारी पूरक बी.पी.एल. सूची में नाम शामिल करने के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे । जिला पदाधिकारी अपने पर्यवेक्षण में इस कार्य को संपन्न कराएंगे ।

5. यह ध्यान रहना चाहिए कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना का कार्य प्रायः पूर्ण हो रहा है । भारत सरकार से SECC के ऑकड़ों का उपयोग करके विभिन्न कार्यक्रमों के लाभान्वितों के चयन की सूची बनाने संबंधी दिशानिर्देश प्राप्त होने पर यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी । यह व्यवस्था मात्र अंतरिम अवधि के लिए है ।

विश्वासभाजन

  
 १९९० एम० राज २/३/१५

सचिव